राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2174/2012/सिरोही.

मैसर्स भंसाली इंजिनियरिंग एण्ड पोलीमर्स प्रा0लि0,
आबूरोड़, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष–वृत, पाली. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/01/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स)–II, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 06/सीएसटी/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, पाली (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 23.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की इकाई को माननीय राज्य स्तरीय छानबीन समिति, जयपुर द्वारा प्रभावी दिनांक 15.05.2004 से "विस्तार मद" में 30% Wages Subsidy हेतु पात्रता मानते हुए प्रमाण पत्र संख्या 2/25 दिनांक 05.12.2005 को जारी किया गया। व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में तिमाही विवरण प्रपत्र, संशोधित तिमाही विवरण पत्र तथा वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। व्यवहारी द्वारा पेश किये गये विवरण पत्रों की जांच करने पर पाया कि तृतीय तिमाही का विवरण पत्र 27 दिन देरी से प्रस्तुत किया गया है। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2008–09 में विभाग द्वारा मजदूरी अनुदान स्वीकृत किये बिना स्वयं की गणना अनुसार मजदूरी अनुदान राशि रूपये 21,25,207/– मानते हुए देयकर राजकोष में कम जमा कराया गया है इसलिए करदाता द्वारा विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कम जमा पर ब्याज धारा 55 के तहत ब्याज 6,09,937/– तथा धारा 58 के तहत रुपये 270/– शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील

लगातार.....2

अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के लिये Wages Subsidy स्वीकृत नहीं की गई, जबकि व्यवहारी को इस हेतु विभाग द्वारा Entitlement Certificate जारी किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.04.2010 में Wages Subsidy को स्वीकृति दी गई है। अतः सब्सिडी राशि को कर के पेटे जमा नहीं मानते हुए ब्याज अधिरोपित किया गया है रिटर्न की शास्ति बिना सुनवाई के अधिरोपित की गई है। अतः इसे अपास्त किया जावें। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान राज्य स्तरीय छानबीन समिति, जयपुर द्वारा प्रभावी दिनांक 15.05.2000 से विस्तार मद में 30 प्रतिशत Wages Subsidy पात्रता प्रमाण पत्र संख्या 2/25 दिनांक 05.12.2005 मजदूरी अनुदान की पात्रता दी है। व्यवसायी ने वर्ष 2008–09 में स्वयं की गणना के अनुसार मजदूरी अनुदान राशि रुपये 2125207/– को मानते हुये देय कर कम राजकोष में जमा कराया है। रेकार्ड के अनुसार व्यवसायी को वर्ष 2008–09 में मजदूरी अनुदान राशि रुपये 30,82,248/– स्वीकृत की गई, जिसे व्यवसायी के विरुद्ध वर्ष 2007–08 में बकाया मांग के पेटे समायोजित किया गया। इस प्रकार वर्ष 2008–09 में जो कर राशि रूपये 21,25,207/– कम जमा कराये गये, उस पर ब्याज का आरोपण किया गया है, चूंकि ब्याज का आरोपण देय कर कम जमा कराने के कारण किया गया है। अतः आरोपित ब्याज माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय हाजी लाल मोहम्मद बनाम राज्य सरकार 32 STC 496 के निर्णय के आलोक में विधिसम्मत है, क्योंकि ब्याज का आरोपण Automatic है। व्यवहारी द्वारा नियमित कर कम एवं समय पर जमा नहीं कराने के कारण आरोपित ब्याज व शास्ति विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य